तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाहीमये इनिशियल्स जज
13/3/17	वकील फरीकैन उप. रेस्पोंडेन्ट सं. 5 की तामील का आदेश प्राप्त हुई है। तलबी रेस्पोंडेन्ट सं. 5 की (पुन:) तलबाना पेश होने पर जारी हो। पत्रावली दिनांक 22/3/17 को पेश हो। Sd/-
22/3/17	वकील फरीकैन उप. पूर्ववत् दिनांक 6/4/17 को पेश हो। Sd/-
6/4/17	वकील फरीकैन उप. पूर्ववत् तलबी हेतु ~~पेश~~ तलबाना जारी होकर पत्रावली दि. 11/5/17 को पेश हो। Sd/-
21/6/17	

राष्ट्रीय लोक अदालत

21.6.17 पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अभियान 2017 कैम्प सवाईमाधोपुर में पेश हुई। रेस्पोंडेन्ट सं. 5 उपस्थित है। मय रेस्पोंडेन्ट पटवारी है। अपीलार्थी नामान्तरण की पत्रावली पटवारी हल्का से तलब की गई अवलोकन किया गया तथा पत्रावली का भी अवलोकन किया गया। अपील अपीलार्थी की बिना विस्तृत विधिक प्रक्रिया के निर्णय पारित किया गया। पत्रावली फैसल हुई... Sd/-

श्रीमती गीता मीना

नेमी चन्द मीना

मा. ...

विनिता

सरपंच
ग्राम पंचायत
सपोटरा (करौली)

न्यायालय उप जिला कलक्टर सपोटरा जिला करौली

पीठासीन अधिकारी- श्री मुकेश कुमार मीना आर.ए.एस. उप जिला कलक्टर सपोटरा

मु0नं0	किस्म	ता0दायरा	तारीख निर्णय
01/16	अपील नामा0	04.07.16	21.06.17

1. ओमप्रकाश पुत्र रामस्वरूप जाति मीना निवारी गोविन्दपुरा तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान।

-अपीलॉट

बनाम

1. रामकेश पि0 रामस्वरूप जाति मीना निवासी गोविन्दपुरा (सलेमपुरा)
2. नेमीचन्द तहसील सपोटरा जिला करौली राज0
3. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार तहसील सपोटरा जिला करौली
4. शाख प्रबन्धक शाखा बी.आर.जी.बी. सलेमपुर तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान।
5. ग्राम पंचायत सलेमपुर जरिये सरपंच तहसील सपोटरा जिला करौली।

-रेस्पोडेन्ट्स

अपील अपीलॉन्ट विरुद्ध ग्राम पंचायत सलेमपुर नामा0 सं0 296

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अभियानः न्याय आपके द्वार 2017 कैम्प सलेमपुर मे पेश हुई। प्रकरण को कैम्प कोर्ट मे रखा जाकर सुना गया। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलांट ने अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि "ग्राम सलेमपुर तहसील सपोटरा की आराजी विवादित खसरा नं0 768 रकबा 7 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नं0 769 रकबा 16 बिस्वा, खसरा नं0 791 रकबा 4 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नं0 825 रकबा 8 बीघा 16 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 20 बीघा 16 बिस्वा अपीलॉण्ट के पिता रामस्वरूप की पुश्तैनी खातेदारी की है। अपीलॉण्ट के पिता रामस्वरूप के फौत हो जाने के पश्चात् रेस्पोडेन्ट सं0 5 ने रेस्पोडेन्ट सं0 1 व 2 जो अपीलॉण्ट के भाई है, के नाम नामान्तरकरण तस्दीक कर दिया तथा अपीलॉण्ट का नाम छोड दिया गया। जबकि अपीलॉण्ट रामस्वरूप की जायज संतान है। मुझ अपीलॉण्ट का नाम उक्त आराजीया तमे दर्ज किया जाना न्यायहित मे आवश्यक है। इसलिए अपील अपीलॉण्ट स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 296 ग्राम सलेमपुर खारिज किया फरमावे।"

अपील अपीलांट दर्ज कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट सं0 1 तथा 2 द्वारा अपील मे इकबालिया जवाब पेश किा जा चुका है। रेस्पोडेन्ट सं0 3 प्रकरण मे कोई राज्य हित निहित नही होने के कारण जवाब पेश करना नही चाहते है। रेस्पोडेन्ट सं0 4 के विरुद्ध पूर्व मे ही उपस्थित न्यायालय नही होने पर एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये जा चुके है। रेस्पोडेन्ट सं0 5 उपस्थित है। रेस्पोडेन्ट सं0 1 रामकेश एवं रेस्पोडेन्ट सं0 2 नेमीचंद ने उपस्थित होरक अपने शपथ पत्र पेश किये। अपीलाधीन नामान्तरकरण की पटवार परत पटवारी सलेमपुर से तलब की गई। उभय पक्षकरान को सुना गया तथा पत्रावली एवं नामान्तरकरण पटवार परत का अवलोकन किया गया। अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलॉण्ट के पिता रामस्वरूप के फौत होने पर रामस्वरूप के वारिसान का विरासत का नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट सं0 5 ने तस्दीक कर दिया गया। उसमे रामस्वरूप के दो पुत्र रामकेश व नेमीचंद के नाम ही दर्ज है। जबकि रामस्वरूप के एक पुत्र अपीलॉण्ट भी था। यह बात अपीलॉण्ट के सगे भाई रामकेश व नेमीचंद ने भी अपने इकबालिया जवाब एवं अपने शपथ पत्र पेश कर स्वीकार की है कि अपीलॉण्ट ओमप्रकाश हमारा सगा भाई है जिसका नामान्तरकरण मे नाम दर्ज होने से रह गया था जिसका नामान्तरकरण हमारे साथ खोले जाने पर हमको कोई आपत्ति नही है। इसलिए अपील अपीलॉण्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण खारिज किये जाने योग्य है।

Scanned by CamScanner

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 296 ग्राम सलेमपुर दिनांक 15.04.77 खारिज किया जाता है तथा तहसीलदार सपोटरा को आदेश दिये जाते है कि मृतक रामस्वरूप पुत्र जयनारायण कोम मीना निवासी सलेमपुर के वारिसान की विधिवत जांच कर नियमानुसार विधिक वारिसान के नाम पर नामान्तरकरण दर्ज करे। निर्णय आज दिनांक 21.06.2017 को सरे कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत सलेमपुर अटल सेवा केन्द्र मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय की प्रमाणित प्रति तहसीलदार सपोटरा को भिजवाई जावे।

(राजपाल यादव)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर सपोटरा

Scanned by CamScanner